5.6.18 | पत्रावली आज पेश कोर्ट हाजा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम छठूं की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 370 रकबा 1.86 हे. की खातेदारी प्रति.नं. 1 चन्दसिंह पुत्र लालाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादी प्रतिवादी नं. 1 चन्दसिंह का पुत्र है तथा वाद पत्र के जरिये कथन किया है कि प्रतिवादी नं. 1 उक्त वर्णित भूमि को बेचान करने पर आमादा है। हालांकि उक्त वर्णित भूमि प्रति.नं. 1 की क्रयशुदा भूमि है तथा वादी के अनुसार सामूहिक आय से क्रय की गई है। अगर प्रति. नं. 1 उक्त वर्णित भूमि को विक्रय कर देता है ~~तथा~~ तो वादी के हक हकूकों पर कुठाराघात होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम छठूं के भूमि ख.नं. 370 रकबा 1.86 हे. के किसी भाग का बेचान नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)